

भारतीय रुपरक्षायिक

दस
रुपये
₹. 10

भारत

TEN
RUPEES
RS. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 245889

यह जनरल स्टाप वैपर द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत सरकार द्वारा
जनरल वाला रुपये है। वाला रुपये का मूल्य 10 रुपये है।
विलास विकास नगर, इलाहाबाद
के साथ संलग्न है।



संघ राज्य लोक सभा
कांस सोसाइटीज तथा चिटूल
गोरखपुर
20/5/09

भारतीय और ज्यायिक

दस

भारत

रुपये

₹ 10

TEN
RUPEES

Rs. 10

मत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 704376

पह जनरल स्टाप बिपर छोड़ा गुलशन पुस्तक देवी मानव सेवा संस्करण समिति
गुरु गोविंद चौधरी गोलाकरण
जिला संस्कृति कार्यालय नं. 37350
के साथ संलग्न है



सहायक सहायिक
फर्म सोसाइटी तथा चिट्ठा
४०० गोरखपुर
२०/५/०९

संस्था का नाम—

रांखा पूरा पता-

संस्था का कार्य क्षेत्र—
संस्था का उद्देश्य—

स्मारि-पत्र

श्री बुद्धलराम प्रसाद कुलवन्ती देवी मानव सेवा
शिक्षा समिति

ग्राम- धैर्यवर, पत्रालय -बानकुइये। जनपद-
सिद्धार्थ नगर (उठोप्रो)

सम्पूर्ण भास्त्रांश्च १२.५८० | १२००

- देश्य-** 1. सरथा पीड़ित मानव की सेवा भावना से उन सारे कार्यों को करेगी जो राष्ट्र हित एवं जनहित में हो।

2. सरथा अपने माध्यम से बालक एवं बालिकाओं के लिये प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इण्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक की शिक्षण संस्थाएं संस्थापित करें।

3 बालक एवं बालिकाओं को शैक्षिक, मानसिक, नैतिक शारीरिक विकास की शिक्षा प्रदान करना।

4. ज्ञान वर्धक हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय की व्यवस्था करना।

5. अल्पसंख्यको तथा दलित वर्गों एवं बौद्धिक वर्गों के लोगों का कल्याणार्थी शिक्षण संस्थाओं छात्रावासों शौचालय भूत्तलय, पुस्तकालय, वाचनालय अनाथालय, मूक्षस्थान, पुस्तकालय, वाचनालय अनाथालय, महिला आश्रम आदि की स्थापना करना। उपर्युक्त केवल इयों की सर्वतो तेरु सासन से अनुकरण-प्रस्ताव है। जनसंख्योग घटन करना।

प्रविधिक व्यवसायिक, इलेक्ट्रॉनिक स्थानों करना एवं शिक्षा देना।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करने हेतु भ्रम्म समाज एवं सरकार जो भूमि तथा सास्तन से पित्तीय सहायता मानते करना। गोप्य ५१३, अ. ५१४, गोप्य ५१५।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्य विकास पट्टा उपहार, अनुबन्ध दस्तावेज़ भूमि तथा अन्य सम्पत्ति प्राप्त करना- एवं आपका सम्मान देना + १८५५

संस्था जागरुक लिए शिक्षा कार्यक्रम संघन रूप से चला कर सबका साक्षर बनाने का कार्य करेगी तथा केन्द्रीय एवं सार्वजनिक हथांतरास्त्रीय देशी एवं विदेशी वित्तीय महामता उलझ कराने वाली संस्थाओं के द्वारा उचित विवरण लाना के द्वारा संस्था के द्वारा लाभ

युवकों किशारों बालक एवं बालिकाओं को सामाजिक, रायोजन, त्रृतिनि, गिरण, सांस्कृतिक स्वभिमान आत्मनिर्भरता अधिक से समर्थित समस्त कार्यों का संचालन करना ।

11.

हाईस्टर्स, इंटरनीलिरट, सरकारी उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रातः एवं सायंकालीन कक्षाएं चला कर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े तथा अल्पसमुद्योगों के निर्धन परिवार के बालकों व बालिकाओं निःशुल्क तैयार करना।

12.

कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल, निराश्रित लोगों लिए संरक्षण गृह अल्प विधि संरक्षण गृह शिशु निकेतन अधिकारी का संचलन करना।

13.

समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

14.

परिवार कल्याण, परिवार नियोजन की महत्ता के बारे में अवगत करना। महिलाओं के लिए जागरूकता केन्द्र व बच्चों का टीका लगाने व बच्चों के जन्म दर को कम करने के बारे में अवगत करना एवं सम्बंधित कार्यक्रम का संचालन करना।

15.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, परिवारकारी नारी, विकलांग, अन्य, निराश्रित, लोगों के लिए सरकार द्वारा घलाती जा रहे योजनाओं से अवगत करना, क्रियानियत करना तथा उनका प्रचार एवं प्रसार करना।

ग्रामीण / शहरी / निराश्रित महिलाओं को सिलाई, कठाई, बुनाई विद्योग, गृह उद्योग के बारे निःशुल्क प्रशिक्षण देना जिससे वे आत्मनिर्भर हो सके।

एडस, इंग्स, कैन्सर नसबंदी अधिकारी की रोक थाम हेतु प्रयास करना तथा इसके होने वाले हानियों से अवगत करना व उनका प्रचार व प्रसार करना।

18.

बालबाड़ी, आयनशाड़ी, पौढ़ शिक्षा केन्द्र, बाल विकास योजना का संचालन तथा क्रियान्वयन करना व पौढ़ों को शिक्षा देने वाली संस्था करना।

19.

शिक्षित बेरोजगार युवकों को टाइप स्कूल, कम्प्यूटर कक्षाएं, टलीवीजन प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यावस्था करना।

सामाजिक कल्याण विभाग, सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विभाग मंत्रालय कापार्ट, नार्वाड़, शिक्षा विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समर्पण करना व उनका प्रचार प्रसार करना।

अख्यात विद्यालयों में रहने वाले व निराश्रित बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षा व प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यावस्था करना।

- ३-
- 22- अनुसूचित जाति / अनुसूचित के बच्चों एवं परिवार को शिक्षित प्रशिक्षित व रामाजारेथान करने से सम्बंधित राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के कार्यकर्मी लोगों द्वारा संस्कारण करना।
- 23- राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा मिछड़े व आति मिछड़े वर्ग व नावालिक तथा लावारिसा बहुमो के लिए चलाये जा रहे कार्यकर्मों की संस्करण करना एवं नियान्ति वर्णन।
- 24- वादा ग्रामसाप आवेदकर तथा गौतम वृद्ध के विचारों का प्रवार एवं प्रसार करना।
- 25- ऊसर भूगि सुधार योजना का प्रचार एवं प्रसार तथा उपराज्यकालीन समरत योजनाओं को ग्रामीण अंचल में नियान्ति करना।
- 26- पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विभिन्न अंचलों में जनता को जानकारी देना।
- 27- वनों के महत्व के बारे में विभिन्न अंचलों में जनता को जानकारी देना व पेड़ लगाने के हरियाली योजना को सफल बनाना।
- 28- गांधी जी के विचारों का प्रचार व प्रसार करना। जैसे लाली ग्रामोदय की रथ्यााग करना।
- 29- जनराज्या वृद्धि कल कारखानों के निकालने वाले घूरे व कर्मी से अनियंत्रित प्रदूषण की सोक शाम हेतु जन जागरण करना तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने से सम्बंधित समस्त कार्यकर्मों का प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन करना।
- 30- भारतीय रांगकृति परमार्थ एवं पुरुष तथा महिलाओं के जीवन रत्न को ऊचा उठाने हेतु देश-ओर्विदेश-भारत-भारत कर्मकाले उनके रामी उद्देश्यों की पूर्ति करना। व प्रचार व प्रसार करना।
- 31- पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से नियम लिखित संस्थागत इकाइयों का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में करना।
 क. निःशुल्क धिकित्सालय का संचालन।
 ख. अनाथ आश्रम का संचालन।
 ग. वृद्धा एवं विधवा सेवाश्रम का संचालन।
 घ. डेरी फार्म का संचालन।
 ङ. हरत शिल्प कला केन्द्र का संचालन।
 च. औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं वा संचालन।
 छ. शिक्षा एवं कृषि सेवा संस्थाओं का संचालन।



सहायक एवं ट्राईल
फॉर सोहाइटीज तथा चिट्ठा
बन्द्रन गोरखपुर

ज. मत्स्य पालन एंव सेवा संस्थान की स्थापना करना।

अ. निःशुल्क पशु विविरालय की स्थापना करना।

मिशन अधिकारी

ब. कृषि रोपाश्रम एंव नैकित्यालय की स्थापना करना।

ट. मुर्गी पालन, कुकुट पालन, मधुमखी पालन, रेशम उद्योग चलाना।

त. उन सारे कार्य को करना जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन आणि नियम 1960 की धारा 21 के अन्तर्गत आती है।

32. रांगनां रो रावंशित राणी व्यविधायों को उभिं प्रशिक्षण देने की व्यावस्था करना।

33. ग्रामोद्योग एंव लक्षु उद्योग द्वारा बेकारी दूर करना तथा वृषि धन का समुचित प्रयोग करना एंव आश्रित बेरोजगार लोगों की अवृद्धि करना।

34. गन्ना संस्थानी शोध स्थापना करना तथा विकास करने वाले उनके जीवन स्तर को ऊचा उठाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान की रथापना करना एंव इसके अन्तर्गत फिटर, टनर, डिलेग्ट्रीशियन, वायरैन, गोटर मैकेनिक डीजलमैकेनिक, एमप्लाटर ट्रैनिंग वक्तव्य हिंदी, अंग्रेजी ट्रैनिंग, शोटर वाइडिंग लोग, लीनी गैकोगोप भूजकर्मी इन सभी द्वेषों का प्रशिक्षण देना। जो जीवोंसे प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत आता है।

35. रागाज के आर्थिक दृष्टकोण से विभिन्न लोगों के लिये उनके जीवन स्तर को ऊचा उठाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान की रथापना करना एंव इसके अन्तर्गत फिटर, टनर, डिलेग्ट्रीशियन, वायरैन, गोटर मैकेनिक डीजलमैकेनिक, एमप्लाटर ट्रैनिंग वक्तव्य हिंदी, अंग्रेजी ट्रैनिंग, शोटर वाइडिंग लोग, लीनी गैकोगोप भूजकर्मी इन सभी द्वेषों का प्रशिक्षण देना। जो जीवोंसे प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत आता है।

36. उन सभी प्रक्रियाओं को अपनाना - जो उद्देश्य लक्ष्य एंव लदवेश्यों हेतु किसी एक अथवा एक से अधिक की प्राप्ति की सहायता हो।

गाल गजादूरों को गता कराना एंव उन्हें शिक्षा तथा प्रशिक्षण देना।

रास्ता के प्रवेश कारणी सामग्री के पदाधिकारियों एंव रातरणों के नाम, पद, पता एंव व्यवस्था जिनकी संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार कार्य रौप्या गया।

म्रोसं०	नाम रथा पिता / पति का नाम
१	श्री राजाराम चौधरी पुत्र श्री सीताराम चौधरी
२	श्री सीताराम चौधरी पुत्र श्री छविलाल चौधरी
३	लाठ दशरथ चौधरी पुत्र श्री वलराम चौधरी

पता	पद	वातसाग
मे० प्रतापनगर, बांसी सिंनगर	अध्यक्ष	कृषि
ग्राम दानोकुइया, पो० बानकुइया सिंनगर	उपाध्यक्ष	कृषि
ग्राम धंवर, पो० बानकुइया रिंनगर	प्रबंधक	कृषि / नौकरी

1	श्रीगती गेवाती चौधरी पत्नी ज्ञातो दग्धरथ चौधरी	ग्राम धैंवर, पो० बानकुइया सिंनगर	उप प्रबंधक मंत्री	कृषि
5	श्री रामरेश चौधरी पुत्र श्री वाले ज्ञातो वर्षा चौधरी	ग्राम रमवापुर सरकारी, पो० गोपालपुर राना कवीरगढ़र		कृषि / नौकरी
6	श्री रामराज चौधरी पुत्र श्री वलरेख चौधरी	ग्राम तेजुआ, पो० मड्डीनामीर जानपद - वरती	उप मंत्री	कृषि / नौकरी
7	श्री कन्हैया प्रसाद चौधरी पुत्र श्री बलराम चौधरी	ग्राम धैंवर, पो० बानकोइया सिंनगर	सदस्य	कृषि
8	श्री राम शब्द चौधरी पुत्र श्री वलराम चौधरी	ग्राम धैंवर, पो० बानकोइया सिंनगर	सदस्य	कृषि / नौकरी
9	श्री मुनिराम वर्मा पुत्र श्री रामरामर वर्मा	ग्राम शिक्का पो० रग्नापुर दूबे रिंनगर	सदरग	कृषि / नौकरी
10	श्री अनन्त वर्मा पुत्र श्री वला मुहम्मद	ग्राम -पो० बांतोल -रिंनगर	सदरग	नौकरी
11	श्री वीरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री कन्हैया प्रसाद चौधरी	ग्राम धैंवर, पो० बानकोइया रिंनगर	सदस्य	कृषि
12	श्री नरेन्द्रसिंह चौधरी पुत्र ज्ञातो दग्धरथ चौधरी	ग्राम धैंवर, पो० बानकोइया सिंनगर	सदस्य	कृषि
13	श्री सन्तोष कुमार चौधरी पुत्र श्री राम शब्द चौधरी	ग्राम धैंवर, पो० बानकुइया रिंनगर	सदस्य	कृषि
14	श्री परम देव वर्मा पुत्र शिवनरमण वर्मा	ग्राम धैंवर, पो० बानकुइया शिवनरमण वर्मा	सदस्य	नौकरी
15	श्री रामराज पटेल पुत्र श्री शिवनाथ पटेल	ग्राम धैंवर, पो० बानकोइया वाराणसी	सदस्य	कृषि / नौकरी



इस निम्नलिखित दस्तावेज करते ही समिति करते हैं कि हमें इस समिति पत्र तथानियमावली के
अनुराग सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21 सन् 1960 के आर्तगत समिति का गठन किया है।

- १०.५.१९६१
1. श्री राजाराम चौधरी
 2. श्री रोहितराम चौधरी
 3. ज्ञातो दग्धरथ चौधरी
 4. श्रीभती मेवाती चौधरी
 5. श्री रामरेश चौधरी
 6. श्री रामराज चौधरी
 7. श्री कन्हैया प्रसाद चौधरी
 8. श्री राम शब्द चौधरी
 9. श्री मुनिराम वर्मा
 10. रघुनाथ वर्मा
 11. श्री वीरेन्द्र चौधरी
 12. श्री नरेन्द्रसिंह चौधरी
- सत्य - प्रतिलिपि
- १२०.५.६१
- सदायक राज्यपाल
- कांगड़ा इंद्रिय द्वारा चिठ्ठा
कांगड़ा गोरखपुर
२०५१०९

प्रतिलिपि करते हैं

विज्ञान कर्ता

२०५१०९

नियमावली-

1. संरथा का नाम
2. संरथा का पूरा पता
3. संरथा का कार्य क्षेत्र
4. संरथा का उद्देश्य
5. संस्था की सदस्यता तथा सदरुयों के बारे में

: श्री वलराम प्रसाद कुलवन्ती देवी मानव शिक्षा शिक्षा समिति

: ग्राम- धैंवर, पत्रालय -बानकुइड्यॉ

जनपद- सिद्धार्थ ज़गर (उ.प्र.)

: सम्पूर्ण भारत (३०,५०)

: सृति पत्र के अनुसार।

(अ) साधारण सदस्य -

संस्था को 2500.00 रुप नकद या इतने ही मूल्य की समिति के रूप में सदस्यता शुल्क देने वाला व्यक्ति पांच वर्षों के लिए साधारण माना जायेगा।

(ब) आजीवन सदस्य -

संरथा को 10000.00 रुप नकद या इतने ही मूल्य की चौधरी के रूप में सदस्यता शुल्क देने वाला व्यक्ति आजीवन सदस्य माना जायेगा।

नोट -

1. केवल प्रबन्धक द्वारा बनाये गये व्यक्ति ही सदस्य हो सकता है। जिसके द्वारा प्रबन्धक द्वारा प्रदत्त रसीद का होना आवश्यक है।

2. चन्दा अथवा दान देने से कोई व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता है। सदस्यता शुल्क के रूप में ही धन देने पर वह सदस्य माना जायेगा।

3. सदस्यता शुल्क जमा करने के पश्चात उनके अपने माह के प्रथम दिन से वह व्यक्ति सदस्य माना जायेगा।

4. निम्न लिखित व्यक्ति संस्था के आजीवन सदस्य रहेंगे उन्हीं लोगों के प्रयास से संस्था की रक्षणा सामग्री हुई है।

श्री राजाराम चौधरी

श्री सीताराम चौधरी

डा० दशरथ चौधरी

श्रीमती मेवाती चौधरी

श्री रामनरेश चौधरी

श्री रामराज चौधरी

श्री कन्हैया प्रसाद चौधरी

श्री राम शब्द चौधरी

श्री मुनिराम वर्मा



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

संस्था का नियमावली

कांस लोकालय तथा चिटूसाह
उत्तर प्रदेश सरकार

अब्दुल हमीद

श्री बीरेन्द्र चौधरी

12. श्री नरेन्द्रसिंह चौधरी १८/८/६४ वा. ८०१
13. श्री रान्तोष कुमार ५३/११/७, १११
14. श्री परग देव वार्मा DVerma
15. श्री रामराज पटेल ५१/११/१

सदस्यता की समाप्ति—

किसी सदस्यता में निम्न लिखित पाये जाने पर उपर्याप्त राजनीतिक संवालन जारी राखती है। गुल्ले ये जाए पर, पायाल हो जाने पर, दीवालिया हो जाने पर नैतिक अपराध करने पर, त्याग पत्र देने पर दोषी ठहराये जाने पर संख्या के संचालन में निष्क्रिय होने पर समिति का अहित करने पर।

नोट — उपरोक्त अयोग्यता सम्पूर्ण कार्यकारिणी के सदस्यों के समक्ष घोषित करके तथा 2/3 सदस्यों की राय से छीनी जायेगी। राखणा के विळङ्ग अगली १०० यादिका किसी न्यूयर्क में नहीं की जा सकती है। १०० राखणा रामा का गिरण ही जारीग होगा।

अ. राखणा रामा ब. प्रबंध रामिति

अ. गठन — राखणा रामा का गठन उपर्युक्त गिरण पांच में वर्धित सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा होगा।

ब. बैठक — सामान्य बैठक

सामान्य बैठक — साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी। आवश्यकता पड़ने पर संख्या बढ़ाई जा सकती है।

तिथेष तैतक — प्रवक्ता के सूचना पर कभी भी तुलाई जा सकती है।

स. सूचना अंवधि — सामान्य बैठक के लिए नौ दिन पूर्व सूचना ताथा तिथेष बैठक के लिए पांच दिन पूर्व सूचना।

द. गण पूर्ति — राखणा सभा का कोर्स 1/2 सत्रों पर पूरा होगा।

नोट — कोर्स न पूरा होने की स्थिति में बैठक स्थगित हो जायेगी। धोधणा के अनुसार उसी दिन अगली बैठक की तिथि निर्धारित होगी। जिसमें गणपूर्ति नहीं होता।

परन्तु एक बार सभा बैलाजे पर गणपूर्ति न होने पर बैठक रथगित होने के बाद दूसरे सभा में यही स्थिति होने के बाद अध्यक्ष को सभा संचालन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

तिथेष वार्षिक अधिवेशन —

वर्ष में एक बार विशेष वार्षिक अधिवेशन होगा।

१. साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार —

1. संख्या के बजट को पारित एवं स्वीकृत करना। एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करना।
2. उर भावने वर्ष अपने राखणों में से ५० अधिकारी एवं कार्यकारिणी राखणों का चुनाव करना।
3. राखणा के राखणा एवं आकर्षक लाभ के लिए संभव कार्य करना।
4. प्रबंध समिति के पद रिक्त होने की दशा में समिति के सदस्यों में से चुनाव करना, संख्या के उद्देश्यों के अनुसार उनके हित में कार्य करना।
5. संख्या के नियमावली में संशोधन, परिवर्तन करना।
6. राखणा के पिंगत कार्यवाही की पुष्टि करना।



संख्या का अधिकारी
कर्म सोसाइटी तथा चिट्ठू
मुम्बई राखणा

१०. प्रबंधकारिणी समिति

क. यठन -

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों/ पदाधिकारियों का दुनाव साधारण सभा के बैध सदस्यों द्वारा बहंत के आधार पर होगा। प्रबंधकारिणी समिति के कम से कम १५ रादस्य होगे जिसमें से निनलिखित पदाधिकारी होंगे।

१. अध्यया
२. उपाध्यक्ष
३. प्रबंधक
४. उप प्रबंधक
५. मंत्री
६. उपमंत्री
७. ९ सदस्यगण

व. बैठके - सामान्य व विशेष

१. सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी।
२. विशेष आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या अधिक हो सकती है।

स. सूचना अवधि -

प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्य रूप से सात दिन पूर्व या विशेष आवश्यकता पड़ने पर ५ दिन पूर्व की जायेगी।

द. गणपूर्ति - प्रबंधकारिणी समिति का कोरम १/२ सदस्यों पर पूरा होगा।

नोट - कोरम न पूरा ती रिप्टि में सभा रणगित हो जायेगी। अध्यक्ष की घोषणा के अनुसार उसी दिन आगली बैठक की सूचना दी जायेगी। बैठक स्थिति होने के बाद दूसरे सभा में यही रिप्टि होने के बाद १/१ अध्यक्ष को सभा संचालन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ग. रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि - संस्था के पदाधिकारियों जैसे - अध्यक्ष, प्रबंधक, मंत्री के पद रियत होने पर उनके अधिकार एवं कर्तव्य तत्काल उपाध्यक्ष, उप प्रबंधक, तथा उप मंत्री में निहित होंगे। बाद में साधारण सभा के सदस्यों की पूर्ति होगी जो शेष अवधि के लिए मान्य होगा।

र. प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार -

१. विगत कार्यालयी की पुष्टि करना।
२. साधारण सभा के लिए निर्णयों को क्रियान्वित करना।
३. संस्था के हिसाय-किताय की देखरेख करना।
४. घटन पर विचार करना तथा शोधन करना।
५. संस्था के उद्देश्य के अनुसार सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त अनुरक्षण अनुदान विकास अनुदान प्राप्त करना तथा उसके समुचित उपयोग की व्यवस्था करना।
६. संस्था की ओर से चनदा, दोन अशदान, लाभार्थी सदस्यता शुल्क व व्याज अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उसके कर्तव्यों एवं कृतियों उद्दृत आधारों का निर्वहन करना।
७. समिति के समस्त पदाधिकारी तथा सदस्य अपने अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों का उपयोग समिति द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर करेगा। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रय बंधक पट्टा, उपहार, अनुबंधन द्वारा भूमि प्राप्त करना और उपयोग करना तथा देना।
८. प्रबंधकारिणी समिति अपने किसी भी शक्ति को उप समिति या किसी भी पदाधिकारी को सौप सकती है।
९. संस्था के कार्यों का संचालन करना तथा इस अनुक्रम में विधि तथा उपविधियों को तैयार करना।

संस्था का द्वारा दिए गए अधिकारों का संचालन करना तथा उपविधियों को तैयार करना।



प्रबंधकारिणी समिति के सदरयों के अधिनार व
कर्तव्य -

४. कार्यकाल -
प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों का कार्यकाल उनको छुने जाने के दिनांक से गांध तर्फ का होगा। परन्तु प्रतिवच्च यह है कि प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्य का कार्यकाल उसके उत्तराधिकारी छुने जाने तक समझा जायेगा।

१. अध्यक्ष -
१. साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना।
२. समिति द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।
३. अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।
४. रामानता के मतदान के समय अपने अतिरिक्त भत्ते से निर्णय करने का अधिकार होगा।
५. बैठक में वाद-विवाद के पश्चात उचित निर्णय देना।
६. संस्था के हितार्थ उन सभी कार्यों को करना जिन्हें साधारण सभा के कार्यकारिणी ने स्वीकृति दी हो।
७. उपाध्यक्ष -अध्यक्ष की अनुपरिधिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन गरना।
८. प्रबंधक -
१. संस्था के सभी प्रकार के आय व्यय का नियंत्रण गरना।
२. सभी प्रकार के दान, अनुदान, चनदा सहायता, शुल्क, व्याज आदि प्राप्त करना एवं व्यय करना।
३. घल - अचल सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रबंध करना।
४. निर्माण एवं अन्य कार्य में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
५. लेखा - जोखा तैयार करना।
६. संस्था के सभी प्रकार के सत्र व्यवहार करना।
७. संस्था के मुकदमों की प्रवर्ती करना।
८. समिति द्वारा पारित आदेशों को प्राप्त करना।
९. सभी धनराशियों का आदान प्रदान करना।
१०. सभी प्रकार के बैठकों बुलाने का अधिकार होगा।
११. सदस्य बनाना, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना एवं सदस्यता शुल्क प्राप्त करना।
१२. सदस्य बनाना, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना एवं सदस्यता शुल्क प्राप्त करना।
१३. संस्था के उद्देश्यों के अनुसार उसके शूर्ति हेतु सभी कार्य करने का अधिकार होगा।
१४. प्रबन्धक को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को किसी भी सदस्य को सौंपने का अधिकार होगा।
१५. संस्था द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।

५. उपाध्यक्ष -
प्रबंधक की अनुपरिधिति में प्रबन्धक के समस्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।

६. मंत्री -
१. समिति द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।
२. प्रबन्धक का सहयोग करना।
३. विभिन्न प्रकार की योजनाएँ एवं परियोजनाएँ तैयार करना। एवं समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
४. मंत्री संस्था को भागस्त राष्ट्रों युशल प्रशासन के लिए उत्तराधिकारी होगा।
५. सभी धनराशियों को भागस्त राष्ट्रों युशल प्रशासन के लिए उत्तराधिकारी होगा।

संस्था का विवर
कार्यालय तथा चिठ्ठा
संस्था का विवर
कार्यालय तथा चिठ्ठा

संस्था का विवर
कार्यालय तथा चिठ्ठा

6. उपमंत्री- मंत्री की अनुपस्थिति में उनके समन्वय अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

संस्था द्वे नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 बहुमत द्वे आघार पर किया जायेगा।

11. संस्था का कोष-

संस्था द्वा कोष किसी मान्यता प्राप्त है बैंक या योग अफिस में संस्था के नाम से ज़िन किया जायेगा जिसके संचालन के लिए प्रबन्धक हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

12. आडिट-

संस्था के वर्ष के आय-व्यय का लेखा जोखा परीक्षण (आडिट) साधारण सभा द्वारा किसी मान्यता प्राप्त आडिट द्वारा करवाया जायेगा।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विस्तृद्व होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन की उत्तरदायित्व-

संस्था द्वारा अथवा उसके विस्तृद्व होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/अध्यक्ष के उपर होगा।



15.

सदस्यता रजिस्टर

कार्यवाही रजिस्टर

स्टाक रजिस्टर

कैश बुक रजिस्टर व संस्था जो अधिलेख आवश्यक समझेगा उसे बनाए सकती है।

संस्था के विधायिका और विधायिका सम्पत्ति के नियंत्रण की कार्यवाही सोसायटी गजिया अधिनियम का धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक ५/५/८५

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

Rakesh Kumar Verma

D Verma
R.R. Patel

सत्य - प्रतिलिपि

20.5.85

सहायक रजिस्ट्रार

सौभाग्यलाल द्वारा दिया गया

दिनांक २०.५.८५ पोरबरपुर

२०१५/०९

प्रतिलिपि कर्ता

मिहान ८.५.८५ २०१५/०९